न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 59/25 GCMS NO 2025/120

1. बिटटो पुत्री छोटे लाल (माता गुल्लो उर्फ इन्द्रा) पत्नि मनीष जाति धोबी निवासी धोबी मोहल्ला नमक कटरा भरतपुर
2. नीलम पुत्री छोटे लाल (माता गुल्लो उर्फ इन्द्रा) जाति धोबी निवासी बासन गेट नमक कटरा भरतपुर
3. कमलेश पुत्री छोटे लाल (माता गुल्लो उर्फ इन्द्रा) पत्नि राजेन्द्र जाति धोबी निवासी 73 रामस्वरूप कालोनी शाहगंज आगरा यू0पी0
4. खुशबू पुत्री जगदीश जाति धोबी निवासी 73 रामस्वरूप बस्ती केदार नगर शाहगंज आगरा यू0पी0
5. नंदीनी उम्र 12 वर्ष पुत्री मनोज नाबालिंग जरिये संरक्षिका बिटटो पत्नि मनीष जाति धोबी निवासी धोबी मोहल्ला नमक कटरा भरतपुर
6. पूरब उम्र 10 वर्ष पुत्र मनोज नाबालिंग जरिये संरक्षिका बिटटो पत्नि मनीष जाति धोबी निवासी धोबी मोहल्ला नमक कटरा भरतपुर

अपीलांट

बनाम

1. इन्दर पुत्र बिन्दू जाति धोबी निवासी गंगापुर सिटी
2. हुकम पुत्र बिन्दू जाति धोबी निवासी गंगापुर सिटी
3. ओमप्रकाश पुत्र रमेश जाति धोबी निवासी गंगापुर सिटी
4. सुनिता पुत्री रमेश पत्नि नामालुम जाति धोबी निवासी महुआ तहसील महुआ जिला दौसा हाल गंगापुर सिटी
5. राधा पुत्री रमेश पत्नि नामालुम जाति धोबी निवासी महुआ तहसील महुआ जिला दौसा हाल गंगापुर सिटी
6. ममता पुत्री रमेश जाति धोबी निवासी गंगापुर सिटी
7. अंजली पुत्री राधाकिशन नाबालिंग जरिये संरक्षक माता सरोज पत्नि राधाकिशन जाति धोबी निवासी गंगापुर सिटी
8. नामालुम पुत्र राधाकिशन नाबालिंग जरिये संरक्षक माता सरोज पत्नि राधाकिशन जाति धोबी निवासी गंगापुर सिटी
9. सरोज पत्नि राधाकिशन जाति धोबी निवासी गंगापुर सिटी
10. अजय बसवाल पुत्र रमेश चंद जाति खटीक निवासी महाराणा प्रताप कालोनी बजरिया सवाई माधोपुर
11. नत्थी देवी पत्नि रमेश जाति धोबी निवासी गंगापुर सिटी
12. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 99/24 निर्णय दिनांक 28.5.25 न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री इंसाफ अली

अभिभाषक रैस्पो0 श्री श्रीदास सिह

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:22:43 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 1.8.2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 28.5.25 न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थीगण/अपीलांटगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि भूमि ख0न0 939 रकबा 1.39 है0 , 943 रकबा 0.31 है0 ग्राम हिगोटिया की खातेदारी बिन्दु पुत्र भौरया जाति धोबी के नाम दर्ज रही है। जो प्रार्थीगण के नाना थे। बिन्दू की मृत्यु के उपरान्त भूमि की खातेदारी विरासत के आधार पर नामा0 संख्या 80 मे जरिये बिन्दू के पुत्र रमेश ,राधकिशन,इन्दर,हुकम व पत्नि फली के नाम दर्ज कर दी गई तथा प्रार्थीगण की मां गुल्लो उर्फ इन्द्रा जो बिन्दू की पुत्री थी का नाम विरासत मे दर्ज नही किया गया जबकि वादग्रस्त भूमि मे बिन्दू की पुत्री गुल्लो उर्फ इन्द्रा का भी समान रूप से 1/6 हिस्सा निहित है। गुल्लो उर्फ इन्द्रा फौत हो चुकी है जिसके वारिस प्रार्थीगण है। बिन्दू की पत्नि फूली का भी स्वर्गवास हो चुका है तथा वर्तमान मे दर्ज इन्द्राजात मे फूली बेवा बिन्दू की विरासत के रूप मे भी प्रार्थीगण संयुक्त रूप से बिन्दु के अन्य वारिस चार पुत्रो के साथ समान रूप से हिस्सा 1/5 के खातेदार है इसी अनुसार स्वयं को खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है। राजस्व रिकार्ड मे हो रहे गलत इन्द्राज के बारे मे प्रार्थीगण व उनकी मां को पूर्व मे कोई जानकारी नही थी क्योकि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की मां को सम्मानपूर्वक मानते चले आ रहे थे तथा भूमि मे होने वाली पैदावार मे मृतक इन्द्रा के हिस्से 1/6 की फसल या उसका पैसा समय समय पर प्रार्थीगण की मां को देते चले आ रहे थे। अब प्रार्थीगण की मां की मृत्यु के उपरान्त अप्रार्थीगण के मन मे प्रार्थीगण के प्रति बदलाव आने लगा है एवं अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को उनके हिस्से 1/6 की फसल देना बंद कर दिया है। जबकि विवादित आराजी मे प्रार्थीगण का 1/6 हिस्सा के अधिकारी है। अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व कर्मचारियो से मिलकर चालाकीपूर्ण तरीके से प्रार्थीगण की मां बिन्दू की पुत्री होने के नाते वारिस के रूप मे दर्ज नही करवाया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खुलवाये गये विरासत के नामा0 संख्या 80 सन 1990 प्रार्थीगण के विरूद्व शून्य व प्रभावहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है। विवादित भूमि मे से मृतक राधाकिशन के वारिसो मे से राधाकिशन के पुत्र के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्से राधाकिशन की पत्नि सरोज ने अपने हिस्से के साथ पुत्र के नाबालिंग होने के बाबजूद अप्रार्थी संख्या 10 को विकय कर दिया है। इसलिए अप्रार्थीगण के नाम रिकार्ड मे गलत इन्द्राज होने के कारण अप्रार्थीगण ने भूमि को भूमाफियाओ से मिलकर विकय कर दिया है। अतः अप्रार्थीगण 1 लगायत 12 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि विवादित भूमि ख0न0 939 रकबा 1.39 है0, 943 रकबा 0.31 है0 व ख0न0 1148/943 रकबा 0.01 है0 ग्राम हिगोटिया मे प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करे ना किसी अन्य से करावे न ही राजस्व रिकार्ड मे हो रहे गलत इन्द्राज के आधार पर भूमि को रहन बय रे तथा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से अपीलांटगण/प्रार्थीगण द्वारा चाही गई। [illegible] न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांटगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:22:43 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र तथ्यो के विपरीत जाकर खारिज किया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। आराजी हाल ख0न0 939 रकबा 1.3900 है0 एवं ख0न0 943 रकबा 0.4800 है0 तथा ख0न0 1148/943 रकबा 0.0100 है0 वाके ग्राम हिगोटिया तहसील गंगापुर सिटी की आराजी जिसके मूल खातेदार बिन्दू पुत्र भौरया जाति धोबी के नाम दर्ज थी। जो अपीलांट के नाना लगते है। उक्त आराजी विरासत मे प्राप्त पूर्वजो की पैत्रिक आराजी है। जिसमे अपीलांट की माता का वर्तमान मे 1/5 हिस्सा बनता है। बिन्दु की मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि की खातेदारी विरासत के आधार पर नामा0 संख्या 80 सन 1990 के आधार पर मृतक बिन्दू के आधार पर उसके पुत्र रमेश, राधाकिशन,इन्दर,हुकम व पत्नि फूली बेवा बिन्दू के नाम दर्ज कर दी गई तथा अपीलांट की मां गुल्लो उर्फ इन्द्रा जो बिन्दू की पुत्री थी का नाम रेस्पो0 द्वारा पटवारी हल्का से साज करके विरासत के रूप मे अपने नाम दर्ज करवा लिया और अपीलांट की माता गुल्लो का नाम नामा0 दर्ज नही करवाया। जबकि अपीलांट की माता गुल्लो पूर्वजो की पैत्रिक आराजी मे 1/5 की हकदार है। वर्तमान मे अपीलांट की मां फौत हो चुकी है जिनके अपीलांट 1 लगायत 6 एवं प्रतिवादी संख्या 13 वारिसान है। मगर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को खातेदार नही मानकर उक्त प्रार्थना पत्र गलत रूप से खारिज किया है जो निरस्त योग्य है। मृतक खातेदार बिन्दु की विरासत का नामा0 खुलवाते समय रेस्पो0 ने चालाकी पूर्ण तरीके से बिन्दू की पुत्री व अपीलार्थीगण की मां गुल्लो उर्फ इन्द्रा का नाम पटवारी हल्का के साथ मिलकर षडयंत्र पूर्वक तरीके से हटाकर अपीलार्थीगण की मां को उसके हिस्से की भूमि से महरूम रखा जबकि अपीलार्थीगण की माता का विवादित भूमि मे बिन्दू की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिस के रूप मे 1/6 हिस्सा था। अपीलार्थीगण की मां फौत हो चुकी है। तथा अपीलार्थीगण की नानी फली का भी स्वर्गवास हो चुका है। इसलिए अपीलार्थीगण व रेस्पो0 संख्या 13 वादग्रस्त भूमि मे मृतक बिन्दू व फूली के वारिसान के रूप मे 1/5 हिससे के संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है। तथा इसी अनुसार विवादित भूमि मे खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी है। मगर अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही कर भारी कानूनी भूल की है। राजस्व रिकार्ड मे हो रहे गलत इन्द्राज के बारे मे अपीलार्थीगण या उसकी मां को पूर्व मे कोई जानकारी नही थी। क्योकि रेस्पो0 अपीलार्थीगण की माता इन्द्रा को मान सम्मान पूर्वक समय समय पर मानते चले आ रहे थे तथा भूमि से होने वाली पैदावार मे मृतक इन्द्रा के हिस्से 1/6 की फसल या उसका पैसा समय समय पर अपीलार्थीगण की मां को देते चले आ रहे है। परन्तु अपीलार्थीगण की मां को देहान्त हो जाने के उपरान्त अपी[illegible] की विवादित भूमि मे उनके हिस्से 1/6 की फसल को देना बंद कर दिया। अपीलार्थी[illegible] रेस्पो0 से इस संदर्भ मे मे बात की तो उन्होने कहा की हमारी बहन [illegible] अब तुम्हे इसमे से कुछ भी नही देगे। इस बात पर अपीलार्थीगण ने रेस्पो0 से कहा की हम गरीब महिलाऐ है हमारे

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:22:43 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

साथ अन्याय क्यो करते हो। हम तो हमारी मां के हिस्से की भूमि को ही मांग रहे है। इस पर रेस्पो0 द्वारा धमकी दी गई एवं भूमि मे से हिस्सा देने का इंकार कर दिया गया। तथा भूमि को बेचान करने की धमकी दी गई। जिसके कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया था जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दी गई परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे मात्र यह फाईण्डिग देकर खारिज किया है कि अपीलांट खातेदार नही है। ना ही उनका कब्जा है और प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संलुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु अपीलांट के पक्ष मे नही मानकर प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। जबकि रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र के जबाब मे अपीलार्थी की माता को बिन्दू की बेटी माना है। और उनका हिस्सा बनना भी माना है। अपीलांट का प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सुतुलन साबित है। विवादित आराजीयात पैतृक आराजी है। जिसमे अपीलार्थीगण की मां का 1/5 हिस्सा बनता है ओर उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलार्थीगण का हिस्सा बनता है इसलिए अपीलार्थी अपनी माता के हिस्से की आराजी को अपने नाम खातेदारी कराने का अधिकारी है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने मे कानूनी भूल की है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जाकर विवादित भूमि मे अपीलांट को 1/5 हिस्से की खातेदारी इन्द्राज दर्ज किये जावे।

रेस्पो0 ने अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि विवादित आराजीयात से अपीलांट/प्रार्थीगण को कोई सबंध वास्ता नही है। वादग्रस्त आराजी रेस्पो0 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। रेस्पो0 के बुजुर्ग बिन्दू की मृत्यु सन 1988 मे हो चुकी है एवं विरासत का नामा0 1990 मे उनके चारो पुत्रो व पत्नि के नाम सही प्रकार से खोला गया है। प्रार्थीगण की मां गुल्लो का विवादित आराजीयात मे किसी प्रकार का कोई अधिकार नही है। इसके कारण उनकी मां गुल्लो के नाम नामा0 खुलने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अपीलांट की मां गुल्लो की मृत्यु वर्ष 2020 मे हुई है। मृतक गुल्लो द्वारा विवादित आराजीयात के बाबत किसी प्रकार के हक के बाबत किसी प्रकार का अधिकार जिवित रहते हुए भी नही जताया गया था। गुल्लो उर्फ इन्द्रा का कोई अधिकार उक्त आराजी मे बनता तो निश्चित रूप से वह अपने जीवन काल मे हक एवं अधिकारो की मांग करती । विरासत के नामा0 की जानकारी अपीलार्थीगण की मां गुल्लो उर्फ इन्द्रा को शुरू से ही रही है। गुल्लो उर्फ इन्द्रा के निधन के काफी समय पश्चात प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के मन मे बदनीयती आ जाने के कारण अधिनस्थ न्यायालय मे दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। जिसका उनको कोई अधिकार हासिल नही था। विरासत का नामा0 1990 मे खुला है जबकि अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा दावा व टी आई 34 वर्षो के पश्चात पेश किया है। गुल्लो उर्फ इन्द्रा ने अपने जीवन काल मे विवादित [illegible] किसी प्रकार की उजदारी नही की है। विरासत का नामा0 विधिवत रूप से खोला [illegible] विवादित भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त नही है ना ही विवादित [illegible] के नाम है। विवादित आराजीयात मे से राधाकिशन [illegible] रजिस्टर्ड विकय पत्र अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:22:43 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

हिस्से की भूमि का बेचान किया गया है। रजिस्टर्ड विकय पत्र को केंसिल किये जाने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थीगण को सिविल न्यायालय मे कार्यवाही करनी चाहिए थी। जो उनके द्वारा नही की गई है। विवादित आराजीयात पर कब्जा रेस्पो0 का लगातार चला आ रहा है। अपीलार्थीगण का विवादित आराजीयात पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है जिसे अपीलार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे माना है। बिना कब्जे एवं अधिकारी इन्द्राज के प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ प्राईमाफेसी केस,सुविधा का संलुतन एवं अपूर्णनीय क्षति का विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजी ख0न0 ख0न0 939 रकबा 1.39 है0 , 943 रकबा 0.31 है0 ग्राम हिगोटिया की खातेदारी बिन्दु पुत्र भौरया जाति धोबी के नाम दर्ज रही है। बिन्दु के फौत होने के उपरान्त विरासत का नामा0 संख्या 80 के जरिये भूमि की खातेदारी बिन्दु के पुत्र रमेश,राधाकिशन,इन्दर, हुकम व पत्नि फुली के नाम दर्ज हुई है जो राजस्व रिकार्ड से साबित है। अपीलार्थीगण द्वारा गुल्लो उर्फ इन्द्रा जो कि बिन्दू की पुत्री थी के बिन्दू की आराजी मे हक होने से अपने हिस्से की भूमि की घोषणा चाहती है जिसका निर्णय वाद मे तय होगा। चूकिः विवादित आराजीयात वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे रेस्पो0 के नाम संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रही है। इनमे रमेश व राधाकिशन की मृत्यु के बाद उनके नाम दर्ज भूमि उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजीयात रेस्पो0 के नाम दर्ज चली आ रही है। वादग्रस्त भूमि पर कब्जा अपीलार्थीगण का हो इस संबंध मे किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही है ना ही अपीलार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे कब्जे के सबंध मे कथन किया है जबकि अपीलार्थीगण द्वारा भी कब्जा रेस्पो0 का ही माना है। वादग्रस्त आराजी मे हिस्से का निर्धारण वाद पत्र मे तय किया जावेगा। किसी रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना विधि के प्रावधानो के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ का विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 99/24 मे पारित निर्णय दिनांक 28.5.25 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.8.2025 को लिखाए जाने पर इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:22:43 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with CamScanner